न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित आई.ए.एस

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या –25/2022 एवं 10/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2022/169

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
दलपतसिंह पुत्र भवानीसिंह,जाति–चारण निवासी–टेहला,तहसील–रियांबड़ी,जिला नागौर।		1. नरपतसिंह पुत्र भवानीसिंह, जाति–चारण,निवासी–टेहला ,तहसील–रियांबड़ी,जिला–नागौर। 2. तहसीलदार–रियांबड़ी,जिला–नागौर।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री मामराज।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: **आदेश** :: दिनांक :– **19.03.2025**

1– प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील संख्या 137/2020 दलपतसिंह बनाम नरपरसिंह वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2021 को पुनः रेस्टोर कर सुनवाई करने हेतु यह आवेदन दिनांक 02.05.2022 को प्रस्तुत किया गया। आवेदन के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अप्रार्थी का आवेदन ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं न्यायालय हाजा उक्त राजस्व अपील संख्या 137/2020 की मूल पत्रावली रिकार्ड अनुभाग से तलब की गई।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मूल प्रकरण संख्या 25/2022 पर इसी न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर दिनांक 04.10.2022 को निर्णय पारित किया जाकर यह रेस्टोरेशन का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया था।

3– न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2022 की निगरानी संख्या/एल0आर/6115/2022/नागौर,माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल,अजमेर में दायर होने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा इस निगरानी में आदेश दिनांक 05.02.2024 को पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर,नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया हैं कि कोविड महामारी के अवधि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में पुनः प्रकरण का परीक्षण कर न्यायहित में समुचित आदेश पारित करें।

4– प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल,अजमेर से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 21.03.2024 को पुनः न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की ओर से वकील श्री मामराज ने व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राजपेरोकार उपस्थित हुवें।

5– प्रकरण पर विद्वान वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि मूल प्रकरण में हमारे नियुक्त अभिभाषक ज्यादातर बीमार चले थे तथा बाद में उनका निधन भी हो गया, इसलिए प्रकरण की कार्यवाही की जानकारी अपीलांट/प्रार्थी को नहीं होने से प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नोटिस समय पर पेश नहीं कर पाने से माननीय न्यायालय द्वारा हमारी अपील आदेश 9 नियम 5

नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

सी0पी0सी0 में खारिज कर दी हैं। विद्वान वकील प्रार्थी ने यह भी तर्क किया कि इस समय कोविड का भी समय होने से भी न्यायालय में अपीलांट उपस्थित नहीं हो सका तथा अपीलांट की जानकारी के अभाव में एवं उनके अभिभाषक से सम्पर्क नहीं हो सकने से तथा कानून की बारिकीयों की जानकारी के अभाव में रेस्पोडेन्टान की तामिलें पेश नहीं कर पाया था। अब प्रकरण के रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक भी उपस्थित हो चुके हैं,इसलिए निवेदन हैं कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार फरमाया जावें तथा आदेश दिनांक 01.03.2021 को निरस्त फरमाया जावें तथा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 का दौराने बहस कथन हैं कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण को मेरिट के आधार पर निस्तारित माननीय न्यायालय द्वारा किया जाता हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित राजपेरोकार द्वारा दौराने बहस प्रार्थना–पत्र रेस्टोरेशन पर आपत्ति दर्ज करते हुवे यह कथन किया कि मूल प्रकरण आदेश 9 नियम 5 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया गया हैं,इसलिए यह प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें।

6– बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल अपील संख्या 137/2020 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नोटिस पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 01.03.2021 को खारिज की गई हैं,चूंकि अब मूल प्रकरण के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हो चुके हैं तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 को भी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं,इसलिए प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 137/2020 अन्वान दलपतसिंह बनाम नरपतसिंह में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2021 को अपास्त किया जाकर मूल अपील प्रकरण संख्या 137/2020 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावें। यह पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न कर नत्थी रखी जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)